न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष— आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3159—तीन/13 विरूद्ध आदेश, दिनाक 22—7—2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 520/अ—12/06—07 निगरानी.

1 भारेलाल तनय रामदीन कुशवाहा (फौत)
(अ) अजुदी तनय भारेलाल कुशवाहा
साकिन मउचुंगी के पास सुधा सागर, तहसील व जिला टीकमगढ़
2 अकीला बानो पत्नि हाजी शेख जहीर
निवासी शेखों का मुहल्ला तहसील व जिला टीकमगढ़ म0 प्र0
3 समीम बानो पत्नि जब्बार खॉ
साकिन कुमेदान मुहाल टीकमगढ म0 प्र0
4 राजकुमारी पत्नि शिवराज सिंह
साकिन सुधा सागर रोड, तहसील व जिला टीकमगढ़

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1 कामता तनय हिरऊ अहिरवार
2 मोहन कन्हैया, राजू तनय खचोरे अहिरवार
3 सुखलाल तनय हिरऊ अहिरवार
सभी साकिन खादी आश्रम के पीछे, नगर जिला टीकमगढ़ म0 प्र0

.....अनावेदकगण

श्री अनिल पाठक, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 2-3-16 को पारित)

यह निगरानी प्रकरण कमांक 3159–तीन/13 राजस्व मण्डल में म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, सागर के प्रकरण कमांक 520/अ–12/06–07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22–7–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत हुआ है ।

2./ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है । यह निगरानी अपर आयुक्त सागर के प्रकरण कमांक 520/अ–12/06–07 में पारित आदेश दिनांक 22–7–13 के विरूद्ध राजस्व मण्डल में प्रस्तुत हुई है, जो अपर कलेक्टर टीकमगढ के प्रकरण कमांक 169/निग/05–06 में पारित आदेश दिनांक 4–4–07 के विरूद्ध था । अपर कलेक्टर के समक्ष उक्त निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण कमांक 9/अपील/05–06 में पारित आदेश दिनांक 19–5–06 के विरूद्ध थी । अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष यह अपील तहसीलदार टीकमगढ के प्रकरण कमांक 27/अ–3/03–04 में पारित आदेश दिनांक 28–2–2005 के विरूद्ध थी । तहसीलदार ने उक्त आदेश से निगराकार भारेलाल के खसरा नंबर 2333/1 की बजाय 2333/1/1 की तरमीम का आदेश दिया था, जिसके विरूद्ध गैर निगराकारगण ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की थी । अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 19–5–06 से इन निर्देशों के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित किया कि तहसीलदार "समस्त सरहदी कृषकों की आपत्तियों का निराकरण करें एवं मौके पर तरमीम के दौरान भी विधिवत सूचना दी जाकर उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए विधि अनुसार योग्य आदेश पारित करें" । अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश के विरूद्ध निगराकार ने पहले अपर कलेक्टर और फिर अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी की जहां से निगरानी कमशः अग्राह्य और निरस्त हुई । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध निगराकार ने राजस्व मण्डल में यह निगरानी प्रस्तुत की है ।

3/ मैंने प्रकरण में उभयपक्ष को तर्क का अवसर दिया । निगराकार अधिवक्ता ने निगरानी मेमों के आधार पर निर्णय का निवेदन किया । गैर निगराकार अधिवक्ता ने प्रकरण का संक्षेप बताते हुए अपना पक्ष रखा ।

4/ तर्कों के प्रकाश में मैंने समस्त अभिलेख का अध्ययन किया । इस सबके आधार पर मैं यह पाता हूँ कि अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश से प्रकरण उभयपक्ष को मौके पर एवं न्यायालय में सूचना, सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर दिए जाने हेतु प्रत्यावर्तित किया था । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह पाया है कि राजस्व निरीक्षक ने मौके की कार्यवाही विधिवत नहीं की, और उन्होंने (राजस्व निरीक्षक ने) यह भी लिखा है कि सह पट्टेदारों की सहमति नहीं है, जिन्हें आहूत किया जाना होगा । प्रकरण में पक्षकारों के स्वत्वों के अनुसार उनके रकबे देखते हुए तरमीम कराए जाने की आवश्यकता भी गैर निगराकारगण द्वारा अपर आयुक्त के सामने बताई गई है। निगराकार द्वारा दो निगरानियां राजस्व मण्डल में आने के पहले भी की जा चुकी है, जो अस्वीकृत हुई हैं । वैसे भी अभी निगराकार सहित उभयपक्ष के सभी पक्षकारों और हितबद्ध व्यक्तियों एवं सरहदी कृषकों को विचारण न्यायालय तहसीलदार के समक्ष अपना पक्ष समर्थन करने हेतु अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अवसर उपलब्ध कराया गया है।

5/ उपरोक्त सभी तथ्यों एवं बिन्दुओं के प्रकाश में एवं आधार पर मैं यह निगरानी स्वीकृत किये जाने योग्य नहीं पाता हूँ । अतः अपर आयुक्त का आक्षेपित आदेश दिनांक 22–7–13 यथावत रखते हुए, निगरानी खारिज करता हूँ ।

आदेश पारित ।
पक्षकारगण सूचित हों ।
प्रकरण समाप्त ।
दा0द0 हो ।

2.3.16

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर